कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 09.06.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयीकार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–31 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना परसपुर ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. भोला चौहान पुत्र बाढ़ू चौहान नि0 डिउहार थाना ऐली मांझा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–94/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल गोण्डा</u>

<u>दिनांक 09.06.2022</u>

शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरबगंज में कुल 66 अदद विभिन्न मालों की, की गयी नीलामीः–

शासन द्वारा थानों पर लावारिस/मुकदमों/अन्य सम्बन्धित मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को मुकदमों/लावारिस/अन्य मालों की नीलामी हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 07.06.2022 को क्षेत्राधिकारी तरबगंज के पर्यवेक्षण में नायब तहसीलदार तरबगंज व प्र0नि0 तरबगंज मनोज पाठक की अध्यक्षता में वर्ष 2007 की 08 मोटरसाईकिल, वर्ष 2008 की 06 मोटरसाईकिल, वर्ष 2009 की 07 मोटरसाईकिल, वर्ष 2010 की 09 मोटरसाईकिल, वर्ष 2011 की 07 मोटरसाईकिल, वर्ष 2012 की 05 मोटरसाईकिल, वर्ष 2013 की 06 मोटरसाईकिल, वर्ष 2014 की 06 मोटरसाईकिल, वर्ष 2016 की 02 मोटरसाईकिल, वर्ष 2017 की 03 मोटरसाईकिल, वर्ष 2019 की 02 मोटरसाईकिल व 01 अदद क्वालिस, वर्ष 2020 की 03 मोटरसाईकिल व 01 अदद ट्रक की नीलामी की गयी। जिसमें कुल 64 अदद मोटरसाईकिल, 01 अदद ट्रक, 01 अदद क्वालिस थी। समस्त वाहनों की नीलामी से कुल **<u>सात लाख बीस हजार छः सौ चालीस रुपए (7,20,640 रू0)</u>** का राजस्व प्राप्त हुआ है।

प्रेस नोट
मीडिया सेल गोण्डा
दिनांक 09.06.2022

फकीरों से अभद्रता व धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तारः—

दिनांक 08.06.2022 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा गांव में आए फकीरों से अभद्रता कर नारे लगवाये जा रहे हैं। वायरल वीडियो को पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर क्षेत्राधिकारी सदर से जांच करायी गयी तो घटना थाना क्षेत्र खरगूपुर की पायी गयी। जिसपर थाना खरगूपुर में तत्काल सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु थानाध्यक्ष खरगूपुर को निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 02 आरोपी अभियुक्तों—01. कृष्ण मोहन तिवारी, 02. अमरीश कुमार तिवारी उर्फ पुत्तीलाल को गिरफ्तार कर अभियुक्तगणों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः—

01. कृष्ण कुमार तिवारी पुत्र जगराखन नि0 खरगूपुर डींगूर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. अमरीश कुमार तिवारी उर्फ पुन्नीलाल पुत्र रामानुज नि0 खरगूपुर डींगूर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु0अ0सं0—116 / 22, धारा 153ए,323,504,506 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीमः—

थानाध्यक्ष खरगूपुर कुबेर तिवारी मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल गोण्डा
दिनांक 09.06.2022

लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त दिनेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना छपिया मे अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. दिनेश यादव पुत्र चिरकुट नि0 सुनवरसा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–152/21, धारा 363,366 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 सुरेश मणि मिश्र मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.06.2022

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त कन्हैया उर्फ प्रिंस सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 240 अल्प्राजोलम की टेबलेट बरामद किया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. कन्हैया उर्फ प्रिंस सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह नि0 चौहान पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–95/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. अल्प्राजोलम की 240 टेबलेट।

गिरफ्तार कर्ता–

उ0नि0 कमलेश कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.06.2022

मिशनशक्ति अभियान के तहत सार्वजनिक स्थान पर फब्तिया कसने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मिशनशक्ति अभियान के तहत सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं/बालिकाओं को देखकर फब्तिया कसने के आरोप में अभियुक्त अमरनाथ कोरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. अमरनाथ कोरी पुत्र मिश्रीलाल नि0 पुरदील पुरवा बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–196/22, धारा 294 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–
उ0नि0 अरविन्द यादव मय टीम।